

उपखण्ड अधिकारी
 (विकास पंचायती)
 उमरगाह
 हमीरगढ़



कृपया ध्यान से पढ़ें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खूबे न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण अदालत में प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित कानूनन को भंगमान करे।
 600/- प्रकरण प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित प्रक्रिया में समा करायें, साथ ही कानूनन फीस 500/-को भी नियमानुसार देकाई नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क रकबा 0.5058 है, कूल किला 06 कूल रकबा 1.3530 है 00 प्रति है। जिसकी पर्यवेक्षण राज्यपाल लौक 156/4 रकबा 0.1644 है, आ.न. 156/6 रकबा 0.0126 है, आ.न. 157/1 रकबा 0.1770 है, आ.न. 158 की कृषि प्रति की खाला संख्या 43 की आ.न. 147 रकबा 0.3667 है, आ.न. 148/1 रकबा 0.1265 है, आ.न. ग्राम हमीरगढ़ पटवार हकीमगढ़ में-अभिनेत्र निरीक्षक हकीमगढ़ तहसील हमीरगढ़ में उसके खाले कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिये जाते है कि

आदेश

पर आवेदन प्रार्थना स्वीकार योग्य है।

अधिकार/स्वतः निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार अधिकार अभिनेत्र में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई आदेश नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के खाले की खालेदारी कृषि प्रति की पर्यवेक्षण करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश में उपलब्ध देकाई का व्यापक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना/प्रार्थना अधिकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली निवेदन स्वीकार कर प्रा०पत्र में विपक्षी संख्या 2,3,4,5 का नाम हिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। विपक्षी कड़े कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए इस आधार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना का तारीख प्राप्त। इस पर अभिनेत्र प्रार्थना द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 2,3,4,5 के उपस्थित नहीं है। अतः न्यायिक में एक तरफ कार्यवाही असल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 2,3,4,5 अदम अभिनेत्र उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद विवेक प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.01.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थना के पर्यवेक्षण को आदेश प्रदान करया जावे।

प्रार्थना पत्र खाले की खालेदारी कृषि प्रति की पर्यवेक्षण करना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्ताव आरजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आवेदन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। इसलिये 06 कूल रकबा 1.3530 है 00 प्रति है। बावजूद प्रार्थना के विपक्षी पत्रों में प्रार्थना एवं विपक्षीय के मध्य आ.न. 156/6 रकबा 0.0126 है, आ.न. 157/1 रकबा 0.1770 है, आ.न. 158 रकबा 0.5058 है, कूल किला 43 की आ.न. 147 रकबा 0.3667 है, आ.न. 148/1 रकबा 0.1265 है, आ.न. 156/4 रकबा 0.1644 है, हमीरगढ़ में-अभिनेत्र निरीक्षक हकीमगढ़ तहसील हमीरगढ़ में उसके खाले की कृषि प्रति की खाला संख्या के तहत इस कानूनन में दिनांक 20.01.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ़ पटवार हकीमगढ़ प्रार्थना की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान प्रू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान प्रू-राजस्व अधिनियम 1956

अप्रार्थना

- 1 श्री रमेशचन्द्र पिता स्व. श्री नारायणल कुमावत नि. रेवे स्टेशन हमीरगढ़ तह हमीरगढ़ जिला शीलवाला।
- 2 श्री अमर चन्द पिता गोकु बजाय नि. नया तालाब तह. गंगार जिला चितौड़गढ़।
- 3 श्री गंगाराम पिता पूरबीराज बजाय नि. नया तालाब तह. गंगार जिला चितौड़गढ़।
- 4 श्री बशीराल पिता गंगाराम बजाय नि. नया तालाब तह. गंगार जिला चितौड़गढ़।
- 5 श्री साहिबाल पिता गंगाराम बजाय नि. नया तालाब तह. गंगार जिला चितौड़गढ़।
- 6 राजस्थान राज्य जरीय तहसीलदार हमीरगढ़ जिला शीलवाला।

प्रार्थना

- 1 श्री अशोक कुमार पिता स्व. श्री नारायणल कुमावत नि. रेवे स्टेशन हमीरगढ़ तह हमीरगढ़ जिला शीलवाला।

अन्यान

प्रकरण संख्या 09/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विकास पंचायती (आ.प.प.स)
 शीतानी अधिकारी हमीरगढ़